

क्रमांक : सामान्य / 2024 / 866

दिनांक : 28 / 05 / 2024

—:आदेश:—

वर्तमान में राज्य में चल रही हीट-वेव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लू-ताप घात के प्रभाव से कोचिंग छात्र/छात्राओं को सुरक्षित रखने हेतु कोटा जिले में स्थित समस्त कोचिंग संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संस्थानों में दोपहर 12.00 से 03.00 बजे के मध्य किसी भी प्रकार की कोचिंग गतिविधियों का संचालन नहीं करें एवं कोचिंग क्लास का समय दोपहर 12.00 बजे से पूर्व अथवा दोपहर 03.00 बजे के बाद रखना सुनिश्चित करें। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के समय राज्य स्तरीय हीट वेव एडवाइजरी की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करे।


जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक : सामान्य / 2024 / 866

दिनांक : 28 / 05 / 2024

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है—

1. निदेशक, एलन / रेजोनेन्स / केरियर पोईट / वाइब्रेन्ट / बंसल / मोशन / आकाश / फिजिक्स वाला / अनएकेडमी कोचिंग इन्स्टीट्यूट, कोटा
2. पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर।
3. अति० आयुक्त आबकारी विभाग, कोटा
4. अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०/शहर) कोटा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा/ अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा
6. अति० पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कोटा।
7. अति० आयुक्त नगर निगम कोटा-दक्षिण
8. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
10. उप सचिव नगर विकास न्याय (प्रथम/ तृतीय) कोटा
11. विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्याय, कोटा
12. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कोटा/जिला आबकारी अधिकारी कोटा
13. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा/जिला रसद अधिकारी कोटा
14. उप पुलिस अधीक्षक कोटा शहर सीओ-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं पंचम
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।
16. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग कोटा/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोटा।
17. उप निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
18. उपखण्ड अधिकारी कोटा।
19. डॉ. विनोद कुमार दडिया, सह आचार्य, मनोचिकित्सक, मेडिकल कॉलेज कोटा।


जिला कलेक्टर
कोटा